न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 17/2019

प्रार्थी–

गोरखनाथ पुत्र सुरजनाथ जाति स्वामी निवासी सामुजा महादेवजी का मन्दिर, गांव सामुजा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत ढीढ़स जरिये सरपंच
2. हंजा देवी पत्नी दीनानाथ
3. अचलनाथ पुत्र दीनानाथ
4. मुकेशनाथ पुत्र दीनानाथ

जाति स्वामी निवासी सामुजा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 40 दिनांक 07.12.1999 जो ग्राम पंचायत ढीढ़स द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विष्णु भगवान चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2व4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2019

प्रार्थी–

1. भगवाननाथ पुत्र सूरजनाथ
2. नरसिंगनाथ पुत्र सूरजनाथ

जाति स्वामी निवासी सामुजा महादेवजी का मन्दिर, गांव सामुजा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत ढीढ़स जरिये सरपंच
2. हंजादेवी पत्नी दीनानाथ
3. अचलनाथ पुत्र दीनानाथ
4. मुकेशनाथ पुत्र दीनानाथ

जाति स्वामी निवासी सामुजा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 41 दिनांक 07.12.1999 जो ग्राम पंचायत ढीढ़स द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री विष्णु भगवान चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2व4 की ओर से उपस्थित।
3. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 18/12/2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत ढीढ़स की ओर से अप्रार्थी सं. 2से4 के पूर्व पुरूष स्व. श्री दीनानाथ पुत्र सूरजनाथ के पक्ष में जारी पट्टा सं. 40 व 41 दिनांक 07.12.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त दोनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत ढीढ़स द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पति एवं 3 व 4 के पिता के नाम आलौच्य पट्टा सं. 40 व 41 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत जारी किये गये हैं। प्रार्थीगण ने उक्त पट्टा विलेखों को विधि एवं तथ्यों को ताक में रखते हुए जारी किया जाना मानते हुए उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत ढीढ़स का आलौच्य अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि आलौच्य पट्टों के भूखण्ड एवं उसके पास वाली भूमि को मिलाकर एक बड़ा भूखण्ड प्रार्थीगण गोरखनाथ, भगवाननाथ, नरसिंगनाथ व दिनानाथ के पूर्वज सूरजनाथ का आया हुआ था जिस पर सूरजनाथ का कब्जा था तथा सूरजनाथ का देहान्त हो जाने पर उक्त भूखण्ड चार भागों में मौखिक रूप से विभक्त किया गया तथा चारों भाईयों ने अपने कब्जे के भूखण्ड पर रहवास हेतु मकान बनाकर कब्जा पुख्ता किया। अप्रार्थी सं. 2 के पति एवं 3व4 के पिता दीनानाथ ने दो अलग–अलग आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये जिन पर बिना मौके पर आये तथा बिना मौके की जांच किये, एक ही दिन में मिसल कायम कर दो अलग–अलग पट्टे जारी कर दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना किये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके आलौच्य पट्टा विलेख जारी कर दिये गये हैं। उक्त पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व नियमानुसार कोई मौका कमेटी का गठन नही किया गया, न ही विधि अनुसार रकम प्राप्त की और न ही पट्टा जारी हेतु आपत्तियों का सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। आलौच्य पट्टा विलेखों में अंकित पडौस एवं नाप मौका स्थिति से बिल्कुल भिन्न हैं तथा प्रार्थीगण का उक्त पट्टा वाले भूखण्ड पर कब्जा एवं रहवास हैं। अप्रार्थीनी सं. 2 द्वारा सिविल न्यायालय बालोतरा में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय द्वारा मौका कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें प्रार्थीगण का कब्जा एवं रहवास स्पष्ट रूप से बताया गया हैं। अतः प्रार्थीगण के यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त फरमाये जावें।

5. अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत ढीढ़स की ओर से सरपंच द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर प्रकट किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख जारी किये गये है। ग्राम पंचायत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के समक्ष नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत होने पर पत्रावली कायम की जाकर मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा करवाया गया एवं सार्वजनिक आपत्तियों का नोटिस जारी किया गया। उक्त सार्वजनिक आपत्ति के नोटिस पर निर्धारित मयाद अवधि में किसी प्रकार की उजरदारी प्रस्तुत नहीं होने पर ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण में आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं। प्रार्थीगण के कथन अनुसार विवादित भूमि स्व0 सूरजनाथ के कब्जे एवं स्वामित्व की होने का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूखण्ड के पट्टे स्व0 दीनानाथ के पक्ष में जारी किये गये हैं तथा दीनानाथ के जीवनकाल में प्रार्थीगण द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया गया न ही कभी उक्त पट्टों को कभी चुनौती दी गई। प्रार्थीगण द्वारा आलौच्य पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड में कब्जा करने का प्रयास किया जिसको लेकर पक्षकारान के मध्य दीवानी एवं फौजदारी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रार्थीगण को आलौच्य पट्टों की जानकारी पूर्व में ही थी तथा असाधारण विलम्ब उपरांत प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

6. अप्रार्थी सं. 3 अचलनाथ के योग्य अधिवक्ता ने इकबाली जवाब में प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच एवं विधिक प्रक्रिया का पालन किये ही जारी किये गये हैं जबकि विवादित भूखण्ड पर सूरजनाथ के चारों पुत्रों भगवाननाथ, गोरखनाथ, नरसिंगनाथ व दीनानाथ का अपने–अपने हिस्से पर रहवास व कब्जा हैं, ऐसे मे उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त किये जाते हैं तो कोई आपत्ति नही हैं।

7. अप्रार्थी सं. 2 व 4 की ओर से योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि आलौच्य पट्टों के अन्तर्गत भूखण्ड पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा न ही विवादित भूमि कभी सूरजनाथ के कब्जे व स्वामित्व की रही, मात्र कयासी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को पैतृक भूमि होना अभिकथित किया हैं। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पत्रों में विवादित भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया हैं, जिससे यह स्पष्ट हो कि विवादित भूमि पैतृक रही हों। आलौच्य पट्टा विलेखों के जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अभिलेख संधारण किया गया हैं जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई, ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही की आदेशिकाऐं अभिलिखित की गई है, सार्वजनिक आपत्तियों का नोटिस जारी कर प्रकाशित करवाया गया हैं तथा निर्धारित मयाद में किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नही होने पर आलौच्य पट्टा विलेख विधिवत रूप से जारी किये गये हैं, यदि भूमि पैतृक मानते हैं तो प्रार्थीगण द्वारा तत्समय अपनी उजरदारी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। विवादित भूखण्ड के आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने की जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से ही थी किन्तु अब अप्रार्थी सं. 3 के साथ मिलकर कर गलत तरीके से वादग्रस्त भूमि को हड़पना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मय हजे–खर्चे खारिज फरमाये जावें।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूमि सूरजनाथ के स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिनके देहान्त पश्चात उसके चारों पुत्रों दीनानाथ,भगवाननाथ,नरसिंगनाथ व गोरखनाथ का इस पर कब्जा एवं रहवासीय मकान बने हुए हैं। इस पैतृक भूमि का दीनानाथ ने अकेले ही आलौच्य दोनों पट्टा विलेख जारी करवा दिये हैं जबकि चारों भाईयों का इस पर कब्जा एवं हक है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह साबित हों कि भूमि पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य की रही हों। अधिनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष स्व0 दीनानाथ पुत्र सूरजनाथ द्वारा दो अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने चालीस वर्षों से पुराने कब्जे के निर्मित मकान का विक्रय विलेख जारी करने का निवेदन किया गया। इस पर ग्राम पंचायत

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा पत्रावली सं. 9/95–96 दायर कर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशिका जारी की गई है, मौका कमेटी द्वारा दिनांक 22.07.96 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथा आवेदक का 50 वर्षों से पूर्व का कब्जा होना अंकित किया हैं। मौका कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस सं. 14 दिनांक 22.09.1996 को जारी किया गया तथा निर्धारित मयाद अवधि में कोई उजरदारी प्रस्तुत नहीं होने पर बैठक दिनांक 22.11.1997 में पंचायत की बैठक में उक्त आवेदित भूमि का विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया तथा आलौच्य पट्टा सं. 40 व 41 दोनो ही नियम 167(1) के प्रारूप में जारी किये गये हैं। उक्त दोनो ही पट्टों के बिन्दु सं. 2 में इन्हे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 क व ख के तहत पुराने ग्रहों का नियमितीकरण किया जाना अंकित किया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के संलग्न आवेदित भूखण्ड पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होने का कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, यहां तक की आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में भूखण्ड पर 40 वर्ष पुराना कब्जा होना अंकित किया हैं जबकि मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 50 वर्ष पुराना कब्जा होने का उल्लेख किया है। इस संबंध में एआईआर 2009 (एनओसी) 1668(राज.) भूरा राम बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हैं कि दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में नियम 156 व 157 के अन्तर्गत नियमीतीकरण का दावा नहीं किया जा सकता हैं। हस्तगत प्रकरण में दोनो ही आलौच्य पट्टा विलेख नियम 157 क व ख के अन्तर्गत जारी किये गये हैं किन्तु पुराना कब्जा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नही हैं। ऐसे में कब्जे के आधार पर बिना दस्तावेजी साक्ष्य के जारी किये गये दोनो ही पट्टा विलेख सं. 40 व 41 नियमानुसार नहीं माना जा सकता हैं, लिहजा खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत ढीढ़स द्वारा जारी पट्टा सं. 40 व 41 दिनांक 07.12.1999 खारिज किये जाते हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बाड़मेर
बाड़मेर